

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

लक्ष्मी पत्नि संतकुमार मीणा नि. झुपडिया गाडोली

बनाम

विष्णुदत्त पारीक पिता राधेश्याम ब्राहमण नि. पीपलुन्द वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 726/2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हवे |
|-------------|--|--|
| 28.10.21 | <p>प्रार्थना पत्र प्रशासन गोंवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 2281/8, 3230/2281 कुल किता 02 रकबा 07.00 बीघा स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के अप्रार्थीगण पडोसी काश्तकार है। जो कि आये दिन भूमि की सीमा चिन्हो को लेकर विवाद करता है व भूमि को कम ज्यादा बताकर प्रार्थी से झगडा करता हैं प्रार्थी उक्त विवाद के स्थाई समाधान बाबत अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2072 से 2075 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम पीपलुन्द प. ह. पीपलुन्द तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 2281/8, 3230/2281 कुल किता 02 रकबा 07.00 बीघा कि बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500- रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 28.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> | |

उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)